(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक रिव्यू 56–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2011 पारित द्वारा राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक 1298–दो/2010.

1. श्रीमती मानकुंवर देवी पत्नी सरदार सिंह जादौन
   निवासी ग्राम मानपुरा दुर्जना तहसील मानपुरा बुर्जना
   तहसील मानपुरा जिला मन्दसौर म0प्र0
2. शक्ति सिंह पुत्र श्री सरदार सिंह जादौन
   निवासी ग्राम मानपुरा दुर्जना तहसील मानपुरा बुर्जना
   तहसील मानपुरा जिला मन्दसौर म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. वंशीलाल पिता लालाबगरी
   निवासी ग्राम अकाली शिवदास
   तहसील गरोढ जिला मन्दसौर म0प्र0
2. अपर कलेक्टर मंदसौर

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 25 अगस्त 2015)

– – – – –

आवेदकों द्वारा यह निगरानी राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के आदेश दिनांक 30–10–2011 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा ) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक वंशीलाल द्वारा किस प्रावधान के अन्तर्गत अपर कलेक्टर के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था एवं किस प्रावधान के अन्तर्गत अथवा किस विचार अधिकार के अधीन अपर कलेक्टर ने आदेश पारित कर भूमि शासकीय किये जाने का आदेश पारित किया, इस पर विवादित आदेश में विचार नहीं किया। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण ने अपनी निगरानी मेमो में स्पष्ट रूप से यह बिन्दु अंकित किया था कि अनावेदक कं 1 वंशीलाल मात्र शिकायतकर्ता है जो हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा आवेदकगण ने विधिवत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इन बिन्दुओं के बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी निरस्त करने में भूल की है।

3/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि रिव्यू में आधार सीमित है अगर अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि रह गई हो तो रिव्यू ग्राह्य किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया कि पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में इस प्रकार कोई त्रुटि नहीं की है जो विधिविपरीत प्रतीत होती हो। ऐसी स्थिति में रिव्यू निरस्त किया जाये।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2011 का अवलोकन किया गया। मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–

1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या

2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3 कोई अन्य पर्याप्त कारण

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख

से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर